

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018


राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "2 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "3.5 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-179]
राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) for the existing expression "2%", the expression "1%" shall be substituted; and
- (ii) for the existing expression "3.5%", the expression "2%" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-179]

By order of the Governor,



(Praveen Gupta)

Secretary to the Government